University in News on 08 September 2025

AMRIT VICHAR PAGE 8

समझौता ज्ञापन को दिखातीं कुलपति व विभाग की निदेशक।

लविवि ने किया महिला और बाल विकास विभाग के साथ एमओयू

कार्यालय संवाददाता, लखनऊ

अमृत विचार: लखनऊ विश्वविद्यालय ने महिला व बाल विकास को सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान गोमती नगर में आयोजित हुआ।

जिस पर कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रो. मनुका खन्ना व संदीप कौर, निदेशक महिला एवं बाल विकास ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर न्यायमूर्ति राजन राय, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ व लीना जौहरी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास भी उपस्थित थे। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और न्यायमूर्ति अजय भनोट, चेयरमैन किशोर न्याय बोर्ड ऑनलाइन जुड़े थे। एमओयू के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, स्त्री अध्ययन संस्थान और विधि विभाग के छात्र-छात्राएँ चाइल्ड केयर संस्थानों में फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, शोध परियोजनाएँ और सोशल इम्पैक्ट ऑडिट करेंगे। अध्यापक व शोधार्थी मिलकर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और जागरूकता अभियानों का आयोजन करेंगे, जिनमें विशेष रूप से किशोर न्याय एक्ट, पॉक्सो एक्ट और बाल अधिकारों पर केन्द्रित रहेगा।

RAHSTRIAYA SAHARA PAGE 5

लविवि का उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ हुआ एमओयू

लखनऊ (एसएनबी)। लखनऊ विश्वविद्यालय ने महिला एवं बाल विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए रविवार को उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर में आयोजित हुआ, जिस पर लविवि कुलपति प्रो. मनुका खन्ना एवं संदीप कौर, निदेशक महिला एवं बाल विकास ने हस्ताक्षर किए। इसमें न्यायमूर्ति राजन राय, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं लीना जौहरी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास भी उपस्थित थे। साथ ही न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और न्यायमूर्ति अजय भनोट, चेयरमैन किशोर न्याय बोर्ड, ऑनलाइन जुड़े थे।

> सामाजिक सरोकारों को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

इस एमओयू के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, स्त्री अध्ययन संस्थान और विधि विभाग के छात्र-छात्राएँ चाइल्ड केयर संस्थानों में फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, शोध परियोजनाएँ और सोशल इम्पैक्ट ऑडिट करेंगे। अध्यापक व शोधार्थी मिलकर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम और जागरूकता अभियानों का आयोजन करेंगे, जिनमें विशेष रूप से किशोर न्याय एक्ट, पॉक्सो एक्ट और बाल अधिकारों पर केन्द्रित रहेगा। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य

क्वक्ष्य में रहने वाले बच्चों को शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल विकास के लिए सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रायोगिक शिक्षा, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और शोध अवसर उपलब्ध कराना तथा उनमें जिम्मेदार नागरिक होने का भाव उत्पन्न करना भी लक्ष्य है। विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय से शैक्षिक एवं शोध सहयोग प्राप्त करना और बच्चों व छात्रों-दोनों के व्यक्तित्व, नेतृत्व तथा रोजगारपरक कौशल का विकास करना भी इस पहल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। चाइल्ड केयर संस्थानों की ओर से फील्ड एक्सपोजर और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि छात्रों को वास्तविक अनुभव मिल सके और शोध व ऑडिट से निकलने वाली सिफारिशों को अमल में लाया जा सके।

VOICE OF LUCKNOW PAGE 6

लविवि ने उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ एमओयू किया

- सामाजिक सरोकारों को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

विशेष संवाददाता (vol)

लखनऊ। लविवि ने महिला एवं बाल विकास को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समझौता ज्ञापन (टङ्कव) पर हस्ताक्षर किए। यह कार्यक्रम न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ में आयोजित हुआ। जिस पर माननीया कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रो. मनुका खन्ना एवं सुश्री संदीप कौर, निदेशक महिला एवं बाल विकास ने हस्ताक्षर किए। इसमें माननीय न्यायमूर्ति राजन राय, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ एवं श्रीमती लीना जौहरी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास भी उपस्थित थे। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद और न्यायमूर्ति अजय भनोट, चेयरमैन किशोर न्याय बोर्ड, ऑनलाइन जुड़े थे। इस एमओयू के अंतर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय के समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, स्त्री अध्ययन संस्थान और विधि विभाग के छात्र-छात्राएँ चाइल्ड केयर संस्थानों (उक्कर) में फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, शोध परियोजनाएँ और सोशल इम्पैक्ट ऑडिट करेंगे। अध्यापक व शोधार्थी मिलकर क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण कार्यक्रम, और जागरूकता अभियानों का आयोजन करेंगे, जिनमें विशेष रूप से किशोर न्याय एक्ट, पॉक्सो एक्ट और बाल अधिकारों पर केन्द्रित रहेगा।

इस समझौते का मुख्य उद्देश्य उक्कर में रहने वाले बच्चों को शैक्षिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल विकास हेतु सहयोग प्रदान करना है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को प्रायोगिक शिक्षा, प्रशिक्षण, इंटर्नशिप और शोध अवसर उपलब्ध कराना तथा उनमें जिम्मेदार नागरिक होने का भाव उत्पन्न करना भी लक्ष्य है। विभागीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु विश्वविद्यालय से शैक्षिक एवं शोध सहयोग प्राप्त करना और बच्चों व छात्रों-दोनों के व्यक्तित्व, नेतृत्व तथा रोजगारपरक कौशल का विकास करना भी इस पहल के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। चाइल्ड केयर संस्थानों की ओर से फील्ड एक्सपोजर और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि छात्रों को वास्तविक अनुभव मिल सके और शोध व ऑडिट से निकलने वाली सिफारिशों को अमल में लाया जा सके। इस साझेदारी से न केवल छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता और सामाजिक समझ बढ़ेगी बल्कि बाल संरक्षण एवं कल्याण की दिशा में संस्थागत पारदर्शिता और जवाबदेही भी मजबूत होगी। यह पहल लखनऊ विश्वविद्यालय की उस दृष्टि को पुष्ट करती है, जिसमें शैक्षिक उत्कृष्टता को सामुदायिक सहभागिता से जोड़ते हुए समाज में ठोस बदलाव लाने का संकल्प शामिल है।

AMAR UJALA MY CITY PAGE 7

लविवि के विद्यार्थी चाइल्ड केयर संस्थानों में कर सकेंगे इंटर्नशिप व ऑडिट

लखनऊ। गोमती नगर स्थित न्यायिक प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में रविवार को हुए कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय और उत्तर प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के बीच एमओयू हुआ। लविवि की कुलपति प्रो. मनुका खन्ना और महिला एवं बाल विकास की निदेशक संदीप कौर ने हस्ताक्षर किए। इसके तहत लखनऊ विवि के समाज कार्य, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, स्त्री अध्ययन संस्थान और विधि विभाग के छात्र-छात्राएं चाइल्ड केयर संस्थानों में फील्ड वर्क, इंटर्नशिप, शोध परियोजनाएं और सोशल इम्पैक्ट ऑडिट करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति राजन राय व प्रमुख महिला एवं बाल विकास की सचिव लीना जौहरी मौजूद रहीं। उच्च न्यायालय इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, न्यायमूर्ति अजय भनोट, चेयरमैन किशोर न्याय बोर्ड ऑनलाइन जुड़े थे। (माई सिटी रिपोर्टर)